

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी (नियम 26)

अज अदालत

बड़ीसादडी (विपक्षीय)

मुकाम

मेरुलाल

बनाम

उंकारलाल


किस्म मुकदमा

128

नं.

39/2018

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम कें में जा
23.4-18	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ए.आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बड़ीसादडी को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... <u>सरथल</u>.....की आ.न..... <u>1335 टकवा = 2.10 ई.</u>.....की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये <u>700/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	 <p>उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादडी सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official</p>

उपखण्ड अधिकारी
 बड़ीसादडी